कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम खतौली डिपो।

पत्रांक 1465 /स0क्षे0प्र0/खतौली/संचालन/स्टाफकार/टेण्डर/17 दिनाँक– 28.06.2017

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में स्टाफकार की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल की 184वी बैठक दिनाँक 29.12.2011 के मद संख्या 17 में प्रस्तुत प्रस्ताव में मासिक किराये के आधार पर निजी वाहनों को सम्बद्ध करने का अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन के परिपेक्ष में स्टाफकारों की कमी के दृष्टिगत इकाईयों को मासिक किराये के आधार पर निम्न नियम व शर्तो के अर्न्तगत वाहन सम्बद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शर्ते

1. आलोच्य वाहन का उपयोग अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा महिन्द्रा बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा इन्डिगो अथवा इसके समकक्ष वाहन तीन वर्श के लिये अनुबन्ध की जायेगी।
3. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु, अनुबन्ध की अवधि में अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन की तिथि से) की होनी चाहिये।
4. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से आच्छादित होनी चाहिए।
5. वाहन से मासिक 2000 किलोमीटर संचालित कराया जायेगा तथा रूपये 30000/– किराया जिसमें ईंधन, चालक का वेतन/भत्ता, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे/भुगतान किया जायेगा। निगम मुख्यालय द्वारा भविष्य में इन दरों में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
6. वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
7. वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन सम्बन्धित निगम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, मोबाइल फोन नम्बर, चालक का ड्राइविंग की लाइसेंस की प्रमाणित फोटोप्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
10. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नहीं होगा।
11. वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुनः अनुबन्ध किया जायेगा।
12. किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता से बिल प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का निगम मुख्यालय लखनऊ से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
13. 2000 किमी0 मासिक से अधिक वाहन यदि संचालित करायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संचालन हेतु पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए उसका अनुमोदन अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय से किया जायेगा तथा तदानुसार भुगतान देय होगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
15. मासिक किराये पर लगाये जाने वाली वाहन हेतु टेण्डर प्रार्थना पत्र सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम खतौली में दिनाँक 04.07.2017 को अपरान्ह 14:00 तक जमा कराये जा सकते हैं तथा उक्त दिनांक को ही समय 15:00 बजे निविदा बॉक्स खोला जायेगा।
16. निविदा फार्म का मूल्य रू0 105/–जिसकी वापसी नहीं होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

17. निविदा पत्र के साथ निविदादाता को रू0 2000.00 का अर्नेस्टमनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम खतौली के नाम से बनवाकर संलग्न करना होगा।
18. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ पेनकार्ड की छायाप्रति स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न करनी होगी व दूरभाष व मोबाइल नं0 अंकित करना होगा।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
खतौली

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर।
3. नोटिस बोर्ड सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय खतौली।
4. ऑफर निगम की बेबसाइट पर अंकित करने हेतु email id tender@upsrtc.com के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर प्रेषित।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
खतौली।

Downloaded from www.upsrtc.com